



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 700 राँची, बुधवार, 30 अक्टूबर, 2024 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

1 अक्टूबर, 2024

सं०सं०: 32/04-विधि-118/2019-2287-1--

विषय: वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं० 695/वि० दिनांक 12.03.2024 द्वारा प्राचार्य, इंदिरा गाँधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान की प्रभावी तिथि संबंधी लिए गए निर्णय में आंशिक संशोधन के संबंध में।

एकीकृत बिहार राज्य में पंचम वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में गठित फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 660/वि०(2) दिनांक 08.02.1999 के द्वारा प्राचार्य, इंदिरा गाँधी विद्यालय, हजारीबाग के पद हेतु रु० 12000-16500/- के वेतनमान की स्वीकृति दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से दी गयी थी। कालान्तर में फिटमेंट अपीलीय समिति ने अपने प्रतिवेदन की कंडिका-31.55 में सभी तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए प्राचार्य, इंदिरा गाँधी विद्यालय, हजारीबाग के पद के लिए रु० 14300-18300/- के वेतनमान की अनुशंसा की गई। फिटमेंट अपीलीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं० 1380/वि० दिनांक 25.06.2005 के माध्यम से प्राचार्य, इंदिरा गाँधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान रु० 12000-16500/- के स्थान पर वेतनमान रु० 14300-18300/- स्वीकृत किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया है कि उक्त संशोधित वेतनमान झारखण्ड राज्य के गठन की तिथि यथा, दिनांक 15.11.2000 से प्रभावी होगा।

2- डॉ० (श्रीमती) आनन्दा देवी (वादी) द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 1643/2019 with W.P.(S) No. 1432/2019 दायर किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से वित्त संकल्प सं० 1380/वि० दिनांक 25.06.2005 को संशोधित किए जाने की माँग की गई थी, परन्तु वादी द्वारा रिट याचिका में

वित्त विभागीय संकल्प सं० 3686/वि० दिनांक 28.12.2007 द्वारा लिए गए निर्णय को संज्ञान में नहीं लाया गया था। वादी द्वारा दायर उक्त रिट याचिकाओं में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत दिनांक 29.08.2023 को समेकित रूप से वादी के पक्ष में न्यायादेश पारित किया गया।

3- वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3686/वि० दिनांक 28.12.2007 द्वारा प्राचार्य, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग के पद हेतु भी फिटमेंट अपीलीय समिति द्वारा अनुशंसित वेतनमान रु० 14300-18300/- का लाभ दिनांक 15.11.2000 के स्थान पर दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से वैचारिक रूप से तथा 01.04.1997 के प्रभाव से वास्तविक रूप से स्वीकृत का निर्णय लिया गया। साथ ही दिनांक 01.04.1997 से लेकर 14.11.2000 तक की अवधि का बकाया राशि संबंधित कर्मियों के भविष्य निधि खाते में एकमुश्त जमा करने का निर्णय भी लिया गया था।

4- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 1643/2019 with W.P.(S) No. 1432/2019 में समेकित रूप से दिनांक 29.08.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है: -

“In view of the aforesaid facts, material on record, rules observations and judicial pronouncements: -

- (i) Let it be made clear that petitioner is entitled for the pay scale what has been given to the Principal of Netarhat Residential School, Netarhat and the same may be extended to her within a period of 12 weeks.
- (ii) However, regarding the benefits of ACP, the petitioner is at liberty to file representation before the respondents within a period of four weeks and thereafter a decision to that effect shall be taken by the respondents within six weeks after receipt of the representation.

Accordingly, the writ petitions stand disposed of.”

5- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 1643/2019 तथा W.P.(S) No. 1432/2019 में दिनांक 29.08.2023 को समेकित रूप से पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ प्राचार्य, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग के पद हेतु, वित्त विभागीय संकल्प सं० 1380/वि० दिनांक 25.06.2005 द्वारा दिनांक 15.11.2000 के प्रभाव से स्वीकृत वेतनमान रु० 14,300-18,300 को संशोधित कर दिनांक 01.01.1996 (वास्तविक लाभ दिनांक 01.04.1997 से) के प्रभाव से अनुमान्य किए जाने के निमित्त, मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख एवं प्रस्ताव गठित कर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृत प्राप्त की गई एवं तदनुसार विभागीय संकल्प सं० 695/वि० दिनांक 12.03.2024 निर्गत किया गया है।

6- वित्त विभागीय संकल्प सं० 695/वि० दिनांक 12.03.2024 द्वारा निर्णय लिए जाने के उपरान्त डॉ० (श्रीमती) आनन्दा देवी (वादी), सेवानिवृत्त प्राचार्य, इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं० 3686/वि० दिनांक 28.12.2007 को संज्ञान में लाया गया तथा रिट याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश से इतर वेतनमान स्वीकृत किये जाने का माँग/अनुरोध किया गया।

7- डॉ० (श्रीमती) आनन्दा देवी (वादी), सेवानिवृत्त प्राचार्य, इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में किए गए माँग/अनुरोध के संबंध में विभागीय पत्रांक 1878/वि० दिनांक 03.08.2024 द्वारा पूर्ण वस्तुस्थिति से वादी को अवगत कराया गया तथा प्रेषित किए गए पत्र के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय में दायर Cont. Case (C) No. 561/2024 डॉ० (श्रीमती) आनन्दा देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में वित्त विभाग की ओर से कारण-पृच्छा दायर किया गया है।

8- फिटमेंट अपीलीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प सं० 1380/वि० दिनांक 25.06.2005 एवं संकल्प सं० 3686/वि० दिनांक 28.12.2007 द्वारा प्राचार्य, इंदिरा गाँधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग के पद के वेतनमान के संबंध में जो निर्णय लिया गया है, उसमें वादी के संबंध में कोई ठोस पृष्ठभूमि अंकित नहीं है। परन्तु संकल्प सं० 3686/वि० दिनांक 28.12.2007 द्वारा प्राचार्य, इंदिरा गाँधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग के पद हेतु वेतनमान रु० 14300-18300/- का लाभ दिनांक 01.01.1996 (वास्तविक लाभ दिनांक 01.04.1997 से) के प्रभाव से अनुमान्य करते हुए दिनांक 01.04.1997 से 14.11.2000 तक की अवधि की बकाया राशि संबंधित कर्मियों के भविष्य निधि खाता में एकमुश्त जमा करने का निर्णय पूर्व में ही लिया जा चुका है।

9- अतः राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 1643/2019 With W.P.(S) No. 1432/2019 में दिनांक 29-08-2023 को समेकित रूप से पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ विभागीय संकल्प सं० 695/वि० दिनांक 12.03.2024 द्वारा पुनः प्राचार्य, इंदिरा गाँधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग के पद हेतु वेतनमान रु० 14300-18300/- का लाभ दिनांक 01.01.1996 (वास्तविक लाभ दिनांक 01.04.1997 से) के प्रभाव से अनुमान्य किये जाने के फलस्वरूप, सम्यक् विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया गया है:-

वित्त विभागीय संकल्प सं० 695/वि० दिनांक 12.03.2024 द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में प्राचार्य, इंदिरा गाँधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग के पद हेतु वेतनामन रु० 14300-18300/- का दिनांक 01.01.1996 (वास्तविक लाभ दिनांक 01.04.1997 से) के प्रभाव से किसी प्रकार का वित्तीय लाभ का भुगतान पुनः नहीं किया जायेगा।

(ii) वित्त विभागीय संकल्प सं० 695/वि० दिनांक 12.03.2024 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

8- प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक **2136/वि०** दिनांक **13.09.2024** के क्रम में दिनांक **20.09.2024** की बैठक के मद सं० **18** में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांत कुमार)

सरकार के सचिव ।
